समयबद्ध / महत्वपूर्ण

कार्यालय--जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी–मऊ।

पत्रांक / /एस0एस0ए0 / समेकित शिक्षा / 2019–20 दिनांक 27/7/19

समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी,
जनपद–मऊ।

राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक : समे0शि0 / एलिम्को /1713 / 2019–20 लखनऊ दिनांक 23 जुलाई, 2019 के अनुपालन में सर्व शिक्षा अभियान के समेकित शिक्षा अन्तर्गत एलिम्को, कानपुर के सहयोग से वर्ष 2019–20 में 6–14 आयु वर्ग के श्रवण दिव्यांग, शारीरिक दिव्यांग, मानसिक दिव्यांग एवं दृष्टि दिव्यांग बालक–बालिकाओं को निःशुल्क हियरिंग एड, व्हील चेयर, बैशाखी, ट्राई–साईकिल, ब्रेल छड़ी, ब्रेल स्लेट, कैलीपर आदि आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराया जाना है।

कैम्प के प्रथम चरण में उपकरण प्रदान करने हेतु बच्चों का मेजरमेन्ट किया जायेगा। तद्पश्चात् चिन्हित किये गये बच्चों को दूसरे चरण में आवश्यकतानुसार उपकरण का वितरण किया जायेगा। इस हेतु राज्य परियोजना कार्यालय से प्राप्त मेजरमेन्ट एवं डिस्ट्रब्यूशन कैम्प के तिथियों का विवरण निम्नवत् है–

मेजरमेन्ट एवं डिस्ट्रीब्यूशन कैम्प का विवरण :–

क्र0 सं0	कैम्प स्थल	प्रतिभाग करने वाले दिव्यांग बच्चों का लक्ष्य	उपकरण प्रदान हेतु जॉच की तिथि (मेजरमेन्ट कैम्प)	उपकरण वितरण की तिथि (डिस्ट्रीब्यूशन कैम्प)
1.	बी0आर0सी0–कोपागंज	150	दिनांक 29.08.2019 (समय प्रातः 11:00 बजे)	दिनांक 16.11.2019 (समय प्रातः 11:00 बजे)
2.	बी0आर0सी0–फ0मण्डांव	150	दिनांक 30.08.2019 (समय प्रातः 11:00 बजे)	दिनांक 18.11.2019 (समय प्रातः 11:00 बजे)

अतः आप समस्त को निर्देशित किया जाता है कि अपने स्तर से ए0बी0आर0सी0 / एन0पी0आर0सी0 / समस्त प्रधानाध्यापकों / ई0प्र0अ0 को उक्त सूचना से अवगत कराना सुनिश्चित करें, जिससे उक्त कैम्प में जनपद के समस्त प्राथमिक / उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् 6–14 आयु वर्ग के श्रवण दिव्यांग, शारीरिक दिव्यांग, मानसिक दिव्यांग एवं दृष्टि दिव्यांग बालक–बालिकाओं को प्रतिभाग कराकर कैम्प को सफल बनाया जा सके। उक्त कैम्प में जनपद के समस्त विकास खण्ड के श्रवण दिव्यांग, शारीरिक दिव्यांग, मानसिक दिव्यांग एवं दृष्टि दिव्यांग बच्चें प्रतिभाग कर सकते है।

नोट :– उक्त कैम्प में नामांकन हेतु बच्चों को निम्न प्रपत्र लाना अनिवार्य है।

1. दिव्यांग बच्चे की तीन फोटो, जिसमें दिव्यांग अंग स्पष्टतः दिखलाई दें। 2. बच्चें का नाम, पिता / अभिभावक का नाम, कक्षा, उम्र, आधार नं0, एस0आर0नं0 व पता के संबंध में अपने अध्ययनरत विद्यालय के प्रधानाध्यापक / ई0प्र0अ0 से प्रमाण पत्र। 3. सक्षम चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत दिव्यांग प्रमाण पत्र मूल रूप से एवं छायाप्रति। 4. राजस्व अधिकारी द्वारा निर्गत अथवा वी0पी0एल0 कार्ड, मनरेगा कार्ड, विकलांगता पेंशन प्रपत्र, एम0एल0ए0 / एम0पी0 या ग्राम प्रधान से आमदनी प्रमाण पत्र (रू0 15000.00 तक मासिक आमदनी पर निःशुल्क एवं रू0 15001.00 से रू0 20000.00 तक मासिक आमदनी पर आधे मूल्य पर उपकरण देय होंगे) 5. पासपोर्ट, डी0एल0, बैंक पासबुक, पैनकार्ड, सरकारी कर्मचारी की विभागीय आई0डी0, राशनकार्ड, शस्त्र. लाईसेन्स, पेंशन कार्ड, रोजगार गारण्ट स्कीम का कार्ड, जाति प्रमाण पत्र (एस0सी0 / एस0टी0 / ओ0बी0सी0) पोस्ट आफिस सेविंग स्कीम का पासबुक, आधार कार्ड, वोटर कार्ड में से किसी एक की छायाप्रति।

खण्ड शिक्षा अधिकारी–कोपागंज एवं फ0मण्डांव विशेष रूप से ध्यान देकर कैम्प को सम्पन्न कराने में अपना सहयोग प्रदान करें। कार्य महत्वपूर्ण एवं दिव्यांग बच्चों के हित मे है। अतः विशेष ध्यान अपेक्षित।

(ओ0पी0 त्रिपाठी)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
मऊ।

पृ0सं0/ 1295-1300 /एस0एस0ए0/समेकित शिक्षा/2019–20 तद्दिनांक।
प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान उ0प्र0 निशातगंज, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी महोदय, मऊ।
3. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, मऊ।
4. सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), आजमगढ़ मण्डल, आजमगढ़।
5. मुख्य चिकित्साधिकारी/समस्त उपजिलाधिकारी/समस्त तहसीलदार/समस्त खण्ड विकास अधिकारी/जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी, मऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी उक्त कैम्प का प्रचार–प्रसार कराकर अधिक से अधिक 06 से 14 वर्ष के दिव्यांग बच्चों को प्रतिभाग कराने का कष्ट करें (संलग्नक प्रचार–प्रसार हेतु सामग्री)
6. जिला पंचायतराज अधिकारी, मऊ को इस अनुरोध के साथ कि अपने स्तर से ग्राम प्रधान एवं विभाग के ए0डी0ओ0 पंचायत व अन्य के माध्यम से उक्त कैम्प का प्रचार–प्रसार कराकर अधिक से अधिक 06 से 14 वर्ष के दिव्यांग बच्चों को प्रतिभाग कराने का कष्ट करें (संलग्नक प्रचार–प्रसार हेतु सामग्री)।
7. डी0पी0ओ0 (आई0सी0डी0एस0), मऊ को इस अनुरोध के साथ कि सी0डी0पी0ओ0/सुपरवाईजर/आंगनवाडी कार्यकर्ती आदि के माध्यम से उक्त कैम्प का प्रचार–प्रसार कराकर अधिक से अधिक 06 से 14 वर्ष के दिव्यांग बच्चों को प्रतिभाग कराने का कष्ट करें (संलग्नक प्रचार–प्रसार हेतु सामग्री)।
8. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मऊ को इस अनुरोध के साथ कि कैम्प की तिथियों को एन0आई0सी0 मऊ की बेवसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
9. जिला सूचना अधिकारी, मऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि जनहित में कैम्प तिथियों की सूचना सम्मानित समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
10. कार्यक्रम प्रमुख, दूरदर्शन केन्द्र, मऊ को इस अनुरोध के साथ कि जनहित में उक्त कैम्प की तिथियों को स्थानीय स्तर पर निःशुल्क प्रसारित कराने का कष्ट करें।
11. समस्त ए0बी0आर0सी0/एन0पी0आर0सी0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कैम्प तिथियों का व्यापक प्रचार–प्रसार कर अधिक से अधिक 06 से 14 वर्ष के दिव्यांग बच्चों को प्रतिभाग कराना सुनिश्चित करें (संलग्नक प्रचार–प्रसार हेतु सामग्री)।
12. समस्त प्र0अ0/ई0प्र0अ0 को निर्देशित किया जाता है कि अपने विद्यालय में अध्ययनरत 6–14 आयु वर्ग के समस्त श्रवण दिव्यांग, शारीरिक दिव्यांग, मानसिक दिव्यांग एवं दृष्टि दिव्यांग बालक–बालिकाओं को ऊपर दिये गये प्रपत्र कैम्प में लाने हेतु सूचित करने के साथ उन्हें नाम, पिता/अभिभावक का नाम, कक्षा, उम्र, आधार नं0, एस0आर0नं0 तथा पता के संबंध में अपने हस्ताक्षर से एक प्रमाण पत्र देना सुनिश्चित करें। जिससे बच्चों का कैम्प में नामांकन किया जा सके।
13. समस्त आई0टी0/आर0टी0/फिजियोथेरेपिस्ट जनपद मऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराये जा रहे पम्पलेट्स आदि के माध्यम से व्यापक प्रचार–प्रसार कर कैम्प में 6–14 आयु वर्ग के अधिक से अधिक श्रवण दिव्यांग, शारीरिक दिव्यांग, मानसिक दिव्यांग एवं दृष्टि दिव्यांग बालक–बालिकाओं को प्रतिभाग कराने के साथ अपने यूनिट के सभी बच्चों को आवश्यकतानुसार उपस्कर एवं उपकरण उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यूनिट के सभी बच्चों को आवश्यकतानुसार उपस्कर एवं उपकरण उपलब्ध कराने का दायित्व आई0टी0/आर0टी0/ फिजियोथेरेपिस्ट का होगा। कैम्प में बच्चों की उपस्थिति /नामांकन कम होने की दशा में सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका (आई0टी0/आर0टी0/फिजियोथेरेपिस्ट का) होगा।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
मऊ।